दूरभाष- 2286709
2286710
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

4291

पत्रांक : 4067 /05/76/एक/2016–17 दिनांक : 24 नवम्बर 2016

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद–कानपुर नगर।

विषय : **वित्तीय वर्ष 2016–17 में सूडा द्वारा आपके जनपद (डूडा) को अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।**

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या–37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है:–

धनराशि का प्रेषण (लाख रू0 में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
एच0डी0एफ0सी0 बैंक	50100092871077	IFSC Code HDFC0002080	198.691

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	द्वितीय किस्त की धनराशि का प्रेषण
1	कानपुर नगर	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0नि0 कानपुर	रावतपुर गांव के अन्तर्गत मोहल्ला अन्सार नगर में अतर सिंह के मकान से सुरेन्द्र सिंह के मकान तक, गौसिया मस्जिद से अलाउददीन शान तक, अजीम भाई के मकान से सोहैल अहमद के मकान तक एवं मेराज अहमद के मकान से गौसिया मस्जिद तक, मोहल्ला वारसी चौराहा से बदरूददीन के मकान से अमन वर्मा के मान तक, बफती के मकान से हाजी इदरीश के मकान तक, जिय के मकान से सुभाष वर्मा के मकान तक, आदर्श नगर में सरताज के मकान से बलराम सेठ के मकान तक, इसरार के मकान से अब्दुल के मकान तक, बगीचा रोड से तबरेज के मकान तक, बतरेज के मकान से अजीमीन के मकान होते हुए लेन तक, मोहल्ला रहमत नगर में कृपाल की दुकान से डी0ओ0सी0 नसिंग होम होते हुए लेन तक, एता मिठाई की दुकान से गोरखनाथ के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	65.784
2	कानपुर नगर	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0नि0 कानपुर	सैयद नगर में ब्रिजपाल सिंह के मकान से शिवबालक सिंह के मकान तक, सुरेन्द्र सिंह के मकान से राकेश प्रजापति के मकान तक, रूपल के मकान से सीताराम के मकान तक, खाली प्लाट से श्रीवास्तव के मकान तक, आ0एस0 यादव के मकान से गुप्ता जी के मकान तक, राहुल जनरल स्टोर से अब्दुल सकूर के मकान तक, सन सिटी स्कूल से मोहम्मद जलील के मकान तक, मुहम्मद इसरार के मकान से अब्दुल के मकान तक, राम सजीवन तिवारी के मकान से मनीष सिंह के मकान तक हिम्मद अली के मकान से मोहम्मद खलील के मकान तक, रईस के मकान से नूरी मस्जिद तक, सी0 से दुर्गा माडल इण्टर कालेज तक, मोहल्ला सुरेन्द्र नगर में सिटी माडल	87.991

दूरभाष– 2286709
2286710
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

4391/2

क्र0 सं0	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	द्वितीय किश्त की धनराशि का प्रेषण
				स्कूल से किशन के मकान तक, सफीक के मकान से मस्जिद होते हुए लेन तक, शिव प्रसाद अग्निहोत्री के मकान से सतीश तिवारी के मकान होते हुए लेन तक, मोहल्ला आनन्द नगर में गोपाल टेडर्स से उमा शंकर मिश्रा तक एवं राजेश वर्मा के मकान से विजय कटियार के मकान होते हुए लेन तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण का कार्य।	
3	कानपुर नगर	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0नि0 कानपुर	सहकार नगर में गौतम के मकान से विनोद के चौहान के मकान तक, सीताराम के मकान से राम सजीवन के मकान तक कमलेश शर्मा के मकान से हरीओम वर्मा इलेक्टिकल से नाला तक मनोज कुमार के मकान से ओम सिंह के मकान तक, ओम प्रकाश के मकान से किशन के मकान तक, अरथा मिष्ठान से हाजी साहब के मकान तक, विद्यासागर के मकान से शिव सिंह केमकान तक, आई0डी0 वा?र्मा के मकान से नागेन्द्र सिंह के मकान तक, किशन के मकान से रामधानी के मकान तक रामानन्द यादव के मकान से लेन तक, इकबाल के मकान से वाहिद के मकान तक एवं डा0 श्रवण कुमार क्लीनिक से खुर्शीद के मकान होते हुए लेन तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	44.916
	योग				198.691

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड़ अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:–

1– उ0प्र0 सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड़ अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत डी0पी0आर0/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।

2– स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।

3– प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।

4– अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नही की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरूपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्वित करें।

5– स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।

6– प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।

7– परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख–रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।

दूरभाष– 2286709
2286710
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

8– योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2016–17 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नही प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।

9– उक्त धनराशि सूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तो/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।

10– प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्त्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

11– अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यो में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्ति करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।

12– शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें। उक्त परियोजनाओं में सेन्टेज के अतिरिक्त अन्य कोई धनराशि अभिकरण पर नही रोकी गयी है।

भवदीय,

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि :निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक/परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. कार्यक्रम अधिकारी, सूडा।।
3. अधि0 अभियन्ता–सूडा
4. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग–सूडा।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक